[राज्य सभा द्वारा 24 फरवरी, 2015 को पारित रूप में]

2014 का विधेयक संख्यांक 4-सी

[दि कांस्टीट्यूशन (शिड्यूल्ड कास्ट्स) आर्डर (अमेंडमेंट), बिल 2015 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2015

हरियाणा, कर्नाटक और ओड़िशा राज्यों में अनुसूचित जातियों की सूची का उपांतरण करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 तथा संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 का और संशोधन करने के लिए

विधयेक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का संशोधन।

सं॰ आ॰ 19

2. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में,—

(क) भाग 5—हरियाणा में, प्रविष्टि 19 के स्थान पर रखें,—

''19 कबीरपंथी, जुलाहा, कबीरपंथी जुलाहा'';

(ख) भाग 7—कर्नाटक में, प्रविष्टि 23 के स्थान पर रखें,—

''23. भोवी, ओड, ओड्डे, वड्डार, वड्डर, वोड्डार, वोड्डर, बोदी (बिस्ता को छोड़कर), कल्लूवाड्डार, मन्नूवड्डार'';

(ग) भाग 13—उड़िसा में,—

(i) प्रविष्टि 26 और प्रविष्टि 27 के स्थान पर रखें,—

''26. धोबा, धोबी, रजक, रजाका

27. डोम, डोम्बों, दुरिया डोम, अधुरिया डोम, अधुरिया डोम्ब'';

(ii) प्रविष्टि 44, प्रविष्टि 45 और प्रविष्टि 46 के स्थान पर रखें,—

''44. कटिआ, खाटिया

45. केला, सपुआ केला, नलुआ केला, सबखिया केला, मटिया केला, गोडिया केला

46. खदाल, खादल, खोदल'';

(iii) प्रविष्टि 91 के स्थान पर रखें,—

''91. तुरी, बेतरा'';

(घ) भाग 24—उत्तरांचल में, ''उत्तरांचल'' के स्थान पर, ''उत्तराखंड'' रखें।

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 का संशोधन।

सं॰ आ॰ 64

2. संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962 की अनुसूची में, प्रविष्टि 2 के स्थान पर रखें,—

''2. चमार, रोहित।''।

GMGIPMRND—4709RS(S3)—24.02.2015.